न्यायालय श्रीमान ~~आयुक्त~~ अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर(म0प्र0)

R - 2106-PBR/12

1. हीरालाल पिता औंकार जाति कुम्हार
2. अंबाराम पिता औंकार जाति कुम्हार

दोनों का धंधा खेती निवासी पिपल्या तह0 व जिला धार

—————— निगरानीकर्ता

बनाम

(19)

1. **कौशल्याबाई फौत वारिस :–**

अ) मूलचंद पिता बालुराम कुम्हार
ब) अजय पिता मूलचंद कुम्हार
दोनों निवासी जगदीशपुरी चंदननगर
थाने के सामने इंदौर (म0प्र0)
स) राकेश पिता मूलचंद कुम्हार
निवासी कालानीनगर इंदौर
द) अखिलेश पिता मूलचंद कुम्हार
निवासी द्वारकापूरी इंदौर (म0प्र0)
य) चंचलाबाई पिता मूलचंद कुम्हार
निवासी कालीबावड़ी तह0 धरमपुरी इंदौर (म0प्र0)

2. कलाबाई पिता भागीरथ पति भेरूलाल कुम्हार
निवासी टकरावदा तह0 बदनावर जिला धार (म0प्र0)
3. कैलाश पिता केसर सिंह जाति कुम्हार
निवासी देपालपुर जिला इंदौर (म0प्र0)
4. रामेश्वर पिता औंकार जाति कुम्हार
निवासी पिपल्या तह0 व जिला धार (म0प्र0)
5. छोगालाल पिता औंकार जाति कुम्हार
निवासी पिपल्या तह0 व जिला धार (म0प्र0)
6. **मोहन फौत वारिस :–**

अ) प्रेमबाई विधवा मोहन
ब) मिथुन पिता मोहन
दोनों निवासीयान पिपल्या तह0 व जिला धार (म0प्र0)

—————— विपक्षीगण

निगरानी अर्ज धारा 50 मु0रा0संहिता 1959 मुजब

मान्यवर महोदय,

सेवा में अत्यंत नम्रता से निगरानीकर्तागण का विनम्र अर्ज है कि :–

1. यह कि अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी धार के राजस्व अपील प्रकरण कमांक 2/2009–10 में 13/11/2009 की आज्ञा मुजब बेरूनम्याद कायम जो मूल अतिरिक्त तहसीलदार महोदय धार की आज्ञा जो राजस्व प्रकरण कमांक 20/2007–08/अ–6 दिनांक 30/9/2008 को दि थी। वह आज्ञा के 1 वर्ष बाद अपील पेश हुई जो बेरूनम्याद थी। म्याद पर कोई आज्ञा नहीं है। धारा 5 म्याद विधान मुजब सर्वप्रथम निराकरण के पूर्व दर्ज होना चाहिये हमे सुनना चाहिये, यह सब अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने नहीं किया है। यह सब अनुविभागीय अधिकारी

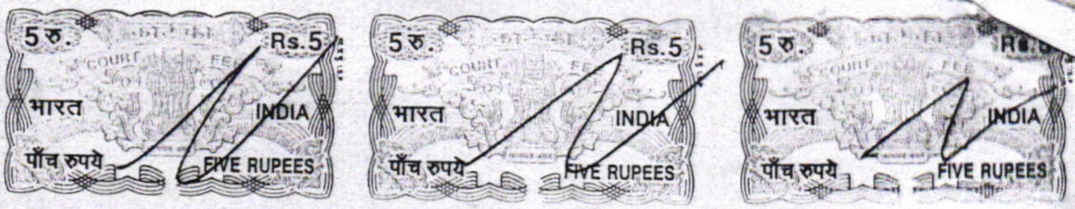

महोदय धार की आज्ञा 13/11/2009 की सर्वप्रथम हमे जानकारी 20/4/2011 द्वारा हुई वैसे ही हमने नकल की अर्जी दि। नकल व जानकारी व आज्ञा के बीचे के दिन मुजरा जाते निगरानी न्यायालय कलेक्टर महोदय धार के अपने निगरानी प्रकरण कमांक 24/10–11 द्वारा आज्ञा दिनांक 14/3/2012 द्वारा मूल अपील न्यायालय की आज्ञा संपूर्ण अपास्त करना थी। मौके देने का प्रश्न नहीं था अतः पूर्ण निगरानी मंजुर करने बाबद व अनुविभागीय अधिकारी महोदय धार की आज्ञा अपूर्ण अपास्त कर और मूल राजस्व अपील प्रकरण कमांक 2/2009–10 बेरून म्याद अंदर म्याद ना होना ठहराकर अपील अपास्ती बाबद उतने पूर्ती संशोधन बाबद अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर महोदय धार की निगरानी प्रकरण कमांक 24/10–11 आज्ञा दिनांक 14/3/2012 में उतने पूर्ति संशोधन बाबद यह निगरानी निम्न आधारों पर कानुन संवत सादर सद्भावना पूर्वक प्रस्तुत है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2106-पीबीआर/2012 जिला धार

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-11-18	आवेदक की ओर से श्री टी0टी0गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी कलेक्टर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ग) के अन्तर्गत निगरानी में पारित आदेश के विरूद्ध अब पुनरीक्षण का प्रावधान समाप्त होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	